

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-2/टि०-21/2025- 1481(2)

/स्वा०, पटना, दिनांक-30/06/2026

विभागीय अधिसूचना संख्या-1545(2), दिनांक-18.11.2021 एवं अन्य विभागीय अधिसूचना/आदेश/पत्र के आलोक में उच्चतर अध्ययन/एस०आर०/ट्यूटर आदि टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त विभाग में योगदान समर्पित कर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित विशेषज्ञ/सामान्य चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-6 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	अनुक्रमांक सं०/ निबंधन सं०/ आवेदन सं०	गृह जिला	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5	6
1	डा० तोहफा बेनजीर	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	BR00150440001817	पटना	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
2	डा० निधि	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	BR00150440002174	पटना	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
3	डा० अतुल शेखर	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग)	PE0001611	बेगूसराय	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
4	डा० रूपेश कुमार सिंह	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	BR00150160000418	बेगूसराय	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
5	डा० प्रमोद कुमार	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	151365/2016	मधुबनी	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
6	डा० रोहित	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	BR00150160005045	नालन्दा	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
7	डा० मधु	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	BR00150440004950	पटना	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
8	डा० मुकेश कुमार	सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी	152287/2016	गया	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना

2. उक्त पदस्थापित विशेषज्ञ/सामान्य चिकित्सकों को निदेश दिया जाता है कि वे नवपदस्थापित स्थान पर तुरंत योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. वैसे विशेषज्ञ/सामान्य चिकित्सकों जिनका पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहने के दौरान सीनियर रेसिडेंट/ट्यूटर के पद पर चयन हो गया है तथा उक्त हेतु उन्हें विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हो चुका है, के संबंध में कहना है कि वे पदस्थापन संस्थान में योगदान कर/प्रभार ग्रहण एवं त्याग कर सीनियर रेसिडेंट/ट्यूटर की शेष अवधि पूर्ण करने हेतु विरमित हो जायेंगे। सीनियर रेजिडेंट की टेन्योर अवधि पूर्ण होने के उपरांत विभाग में योगदान करेंगे।

4. उक्त नवपदस्थापित विशेषज्ञ/सामान्य चिकित्सकों में से वैसे चिकित्सक जिनका त्याग-पत्र स्वीकृत हो चुका है/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किया जा चुका है/निधन हो चुका है, का पदस्थापन मान्य नहीं होगा।

5. सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त चिकित्सकों के पदस्थापन अतिरेक हो जाने की स्थिति में उन्हें मुख्यालय (स्वास्थ्य विभाग) में अविलम्ब योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

W. K. 30/6/26

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/टि०-21/2025-1481(2)

/स्वा०, पटना, दिनांक-30/06/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना /सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

- प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. K. Singh 30/6/26
सरकार के उप सचिव।